

भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानून एवं संस्थाओं का अध्ययन



किशोरी लाल
असिस्टेंट प्रोफेसर,
विधि विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ



सिद्धार्थ कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर,
विधि विभाग,
स्वामी विवेकानन्द लॉ कालेज,
गडिया गाँव, प्रेमनगर, झाँसी

सारांश

भारत में अभी तक जो भी कानून बनाये गये हैं उनमें ऐसे प्रावधान नहीं हैं जिससे भ्रष्टाचारियों में वास्तव में सही तरीके से दण्डित किया जा सके। चाहे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 हो, जाँच आयोग 1952 हो भारतीय दण्ड संहिता में उल्लेख की गयी दण्ड की व्यवस्थाएँ कहीं न कहीं वो अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि न्यायिक अधिकारियों पर कार्यवाही की जा सके। जिला स्तर के न्यायिक अधिकारियों को जाँच के बाद हटा भी सकते हैं लेकिन उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के जजों को महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया बहुत की जटिल है। आवश्यक दो- तिहाई बहुमत साबित करना आसान नहीं है। आज तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया जा सका। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधियों में इस बात का उल्लेख नहीं है कि जो सम्पत्ति अवैध तरीके से हासिल की गयी है उसे दोषी से किस प्रकार बसूला जायेगा। न्यायिक प्रक्रिया इतनी लम्बी हो जाती है कि दोषी को सजा दिला पाना सम्भव नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया कितने दिन में खत्म होगी इसके लिये कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं है।

मुख्य शब्द : भ्रष्टाचार, कानून, निवारण।

प्रस्तावना

भ्रष्टाचार, समाज एवं राष्ट्र के नैतिक पतन का परिणाम एवं कारण दोनों ही है। लोकतन्त्र एवं उदारता का नकाब चढ़ाकर अनेक जटिल मानवीय प्रश्नों के समाधान दम्भ भरने वाला पूँजीवाद कालान्तर में आर्थिक असमानता का वाहक बना। अन्य सामाजिक समस्याओं की तरह भ्रष्टाचार को परिभाषित करना भी अत्यन्त कठिन है। सामान्यतः हर उस व्यवहारिक व्यापार को जो धोखा फरेब और बेइमानी पर आधारित है भ्रष्टाचार कहा जा सकता है जिसमें धूस, कालाबाजारी, कालाधन जैसी समस्त राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कुरीतियाँ समाहित हैं। मजेदार बात यह है कि कम आय वाले लोगों ने बेहतर आय वाले लोगों के मुकाबले अधिक रिश्वत देने की बात कही है।

साहित्यावलोकन

“करप्शन कन्ट्रोल आफ मल एडमिनिस्ट्रेशन” के लेखक जे0 पी0 मन्टीरो ने भ्रष्टाचार को परिभाषित किया है। उनके अनुसार भ्रष्टाचार वह कार्य है जिसमें अधिकांश सम्पन्न व्यक्ति अपने पद स्तर या प्रभाव का प्रयोग अनुचित लाभ के लिये स्वार्थ पूर्ण तरीके से करता है। अमेरिकी न्यायाधीश लुई डी ब्रान्डीस ने कहा है कि सूर्य की रोशनी संक्रमण को रोकने में सबसे कारगर होती है लेकिन भारतीय अदालतों की अवमानना किस मामूली से बात से हुई मान ली जायेगी यह कहना मुश्किल है। लेखक डॉ. ए०एन० चतुर्वेदी, भारतीय दण्ड संहिता पृ० 293 भ्रष्टाचार निवारण में सख्त प्रावधान रखने को कहा है। लेखक डॉ. जय नारायण पाण्डेय, भारत का संविधान पृ० 241 में न्यायाधीशों को अपने ऊँचे पद की गरिमा के अनुरूप आचरण करने को कहा। वे हेनरी सेसिल की पुस्तक टिपिंग द स्केल में हेरो डोट्स प्रकरण में फारस के राजा केबीसेस ने जब पाया कि उनकी अदालत का एक न्यायाधीश बेईमान है तो उसे फांसी की सजा देदी और उसकी चमड़ी से न्याय के आसन को मड़वा दिया। फिर उस न्यायाधीश बेटे को नया पंच बनाया और कहा कि उसके आसन पर जिस तरह चमड़ा मड़ा गया है उसे याद रखना।

अध्ययन का उद्देश्य

भ्रष्टाचार, निवारण सम्बन्धी कानून एवं संस्थाओं का अध्ययन

भ्रष्टाचार के मामले

भ्रष्टाचार के मामले में भारत की एक नई तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ हर दूसरे शख्स ने अपना काम कराने के लिये अधिकारियों को रिश्वत दी। यहीं नहीं सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकारी संस्थान पुलिस है। अन्तर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस 9 दिसम्बर पर गैर सरकारी संगठन ट्रान्सपैरेन्सी इन्टरनेशनल की रिपोर्ट से यह बात सामने आयी है। छोटे मोटे स्तर पर घूस देने का यह सर्वेक्षण 86 देशों के 91000 लोगों पर किया गया।

“करण बैरोमीटर” नामक सर्वेक्षण के मुताबिक हर चार आदमी में से एक ने नौ संस्थानों में से एक में काम करवाने के लिये घूस दी थी। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आयकर अधिकारी शामिल हैं। रिश्वत लेने के मामले में पुलिस सबसे अग्रणी है। सर्वेक्षण के अनुसार करीब 29 प्रतिशत लोगों ने पुलिस को घूस दी। सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्रों में घूस देने की सबसे ज्यादा घटनायें होती हैं। जहाँ हर दो में से एक ने अधिकारियों को घूस देने की बात स्वीकारी। मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीकी दूसरे सबसे ज्यादा भ्रष्ट इलाके हैं। यहाँ पर करीब 36फीसदी लोगों ने घूस देना स्वीकारा। गौरतलब है कि ट्रान्सपैरेन्सी इन्टरनेशनल 2003 से भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट जारी कर रही है। संयुक्त राष्ट्र ने 2003 में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को बढ़ावा देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाने का फैसला किया।

सम्भवतः स्वतन्त्र भारत का सर्वप्रथम घोटाला हरिदास मूंदडा का घोटाला माना जाता है परन्तु जीप घोटाला 1948 आजाद भारत का पहला घोटाला है। भारत सरकार के ब्रिटेन में हाई कमिश्नर बी०के० कृष्णमनन ने प्रोटोकाल तोड़ते हुये आर्मी जीप खरीदने के लिये एक कम्पनी से 80 लाख रुपये का समझौता किया। उस कम्पनी की विश्वसनीयता संदिग्ध पायी गयी पूरा पैसा देने के बावजूद 2000 जीपों के आर्डर में से केवल 155 जीपें ही भारत पहुँच पाई। 1955 में इस घोटाले की फाइल को बन्द कर मेनन को नेहरू मंत्रीमण्डल में मंत्री बना दिया गया।

न्यायमूर्ति एम०सी० छागला ने भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि उद्योगपति हरिदास मूंदडा ने अवैध कार्यकलापों से औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने के लिये प्रयास किया था। हरिदास मूंदडा के विरुद्ध 124 मामले दर्ज किये गये थे जिसमें अधिकांश मामलों में उसे दोषी ठहराया गया।

यह भारत गणतन्त्र का ऐसा प्रथम घोटाला था जिसमें राजनीति और पूँजीपति के मध्य अपवित्र गठजोड़ बना था। श्रीमती इंदिरा गाँधी के पति स्व० फिरोज गाँधी के द्वारा उजागर किये गये इस घोटाले के द्वारा नेहरू मंत्री मण्डल के वित्त मंत्री टी०टी० कृष्णाम्चारी को त्यागपत्र देना पड़ा था। इस घोटाले को उठाने के कारण नेहरू तथा फिरोज गाँधी के सम्बन्धों में कटुता भी आयी थी। जून 19, 1956 में 245 फर्माँ भारतीय जीवन बीमा निगम में समाहित किया तथा संसद में कानून पास हुआ।

कैरो घोटाला 1963

पंजाब प्रान्त के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जिन पर अपने बेटे एवं रिश्तेदार को फायदा पहुँचाने का आरोप लगा। एक साल बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा।

सी० बी० आई० निदेशक आलोक वर्मा का मामला

अभी हाल ही में 8 जनवरी 2019 सी० बी० आई० निदेशक आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के० एम० जोसफ की पीठ ने गत 23 अक्टूबर 2018 को केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सी० वी० सी०) और कार्मिक विभाग (डी०ओ०पी०टी०)के आदेशों को दरकिनार कर उनको पद पर बहाल कर दिया। *विनीत नारायण* के मामले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि सी०बी०आई० निदेशक का तबादला चयन समिति की पूर्व अनुमति के बिना नहीं हो सकता है। अतीत में सी०बी०आई० की स्वायत्ता का सवाल उठाते हुए उसे *पिंजरे का तोता* तक कहा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेश के बाद मामला लोकपाल कानून के तहत प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा के विपक्षी दल के नेता को मिलाकर बनी सिलेक्ट कमेटी के पास गया। बहाली के दो दिन बाद 10 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार चयन समिति ने 2-1 बहुमत से पद से हटा दिया और पुनः एम० नागेश्वर राव के अगले आदेश तक अंतरिम निदेशक के पद पर नियुक्त कर दिया। इसके बाद निदेशक आलोक वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

सी०बी०आई० के 55 साल के इतिहास में पहली बार किसी निदेशक पर ऐसी कार्यवाही हुई है। 1979 बैच के आई० पी०एस० वर्मा पर सी०बी०आई० की रिपोर्ट पर गुरुग्राम जमीन खरीद पर 36 करोड़ का लेनदेन पूर्व मुख्यमंत्री बिहार लालूप्रसाद यादव का आई आर सी टी सी केस में दर्ज एफ आई आर शामिल करने सहित कुल आठ मामले शामिल थे।

भ्रष्टाचार का एक अन्य पहलू

‘अ’ और ‘ब’ नाम के 2 व्यक्ति हैं। ‘अ’ सिद्धान्तवादी है, उसका मानना है कि जिस काम के लिये दिल गवाही न दे या जो काम गलत परम्परा को जन्म दे या बढ़ावा दे वह काम नहीं करने चाहिये। दूसरी ओर ‘ब’ अवसरवाद का कट्टर पक्षधर है ‘ब’ का मानना है कि जहाँ अपना काम बनता है वहाँ अवसर के अनुसार काम करना चाहिये न कि सिद्धान्त के अनुसार। एक दिन दोनों की मुलाकात एक सरकारी दफ्तर में हुई। ‘अ’ ने ‘ब’ से पूछा कि तुम यहाँ कैसे ‘ब’ ने बताया कि फलाने बाबू के यहाँ एक फाइल लटकी है उसी सिलसिले में लेकिन तुम यहाँ कैसे ? इस पर अ ने कहा इसी बाबू ने मेरी भी एक फाइल अटका रखी है, आगे बढ़ा ही नहीं रहा है। ‘ब’ ने आश्चर्य व्यक्त करते हुये कहा, क्यों ? ‘अ’ ने जबाब दिया कि पैसे मांग रहा है, बिना लिये फाइल आगे नहीं बढ़ाने की बात कह रहा है। ते दे दो क्यों नहीं देते ! – ‘ब’ ने साधारण लफ्जों में कहा। इस पर ‘अ’ ने तुनकते हुये कहा कि कुछ भी हो जाये घूस के नाम पर तो मैं एक पाई नहीं दूँगा..... मैं गलत परम्परा का निर्वाह नहीं

करूँगा। 'ब' ने कहा कि मैं भी रिश्वत के खिलाफ हूँ लेकिन मुझे इस तरह काम कराने में कोई गुरेज नहीं है। अर्थात् 'अ' का समर्थन तो सभी करना चाहते हैं मगर काम 'ब' की तरह ही करना चाहते हैं।

विश्व में भ्रष्टाचार के स्तर का अध्ययन करने वाली संस्था ट्रांसपैरेन्सी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में भ्रष्टाचार 5 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है। भ्रष्टाचार के मामले में 178 देशों की सूची में भारत को

87वाँ स्थान मिला है। जब कि 9.3 अंकों के साथ डेनमार्क, न्यूजीलैण्ड व सिंगापुर को संयुक्त रूप सबसे ईमानदार देश होने का गौरव प्राप्त हुआ है। सोमालिया को दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश घोषित किया गया है। रिपोर्ट में देशों को 0 से 10 अंकों के बीच अंक दिये गये हैं, दस अंक मतलब है जहाँ भ्रष्टाचार नगण्य है और 0 अंक का मतलब है जहाँ बहुत अधिक भ्रष्टाचार है।

स्थान	भ्रष्टाचार स्तर सूचकांक
1. डेनमार्क	9.3
1. न्यूजीलैण्ड	9.3
1. सिंगापुर	9.3
6. कनाडा	8.9
8. आस्ट्रेलिया	8.7
8. स्विटजरलैण्ड	8.7
15. जर्मनी	7.9
17. जापान	7.8
20. ब्रिटेन	7.6
22. अमेरिका	7.1
25. फ्रांस	6.8
28. यूएई	6.3
54. दक्षिण अफ्रीका	4.5
69. ब्राजील	3.7
78. चीन	3.5
87. भारत	3.3
91. श्रीलंका	3.2
105. अर्जेंटीना	2.9
134. बांग्लादेश	2.4
143. पाकिस्तान	2.3
146. नेपाल	2.2
154. रूस	2.1
178. सोमालिया	1.1

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार

माई लार्ड! – इन दो शब्दों का दबदबा कुछ ऐसा ही लगता है जैसे किसी सम्प्रभु देश के शासक या गणतन्त्र के मुखिया का होता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिये प्रयुक्त इन शब्दों के साथ अतुलनीय गरिमा जुड़ी होती है। चाहे वह अदालत के भीतर इस्तेमाल हो या बाहर। देश के न्यायाधीश निरापद आवरण में लिपटे रहते हैं। हालाँकि पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सी0जे0आई0) वाई0एस0 सब्बरवाल ने कहा था कि जज या न्यायाधीश भगवान नहीं होता है इसके बावजूद आज भी भारत की जनसंख्या न्यायपालिका पर विश्वास करती है तथा न्यायपालिका के न्यायाधीशों को भगवान के समान दर्जा देती है। लेकिन न्यायपालिका के कुछ सदस्यों के आचरण पर एवं भ्रष्टाचार पर उठी उंगलियाँ न्यायाधीशों की मान मर्यादा में कमी का कारण बन रही है।

कटघरे में न्यायाधीश

ए0एम0अहमदी का मामला

भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर (अक्टूबर 1994–मार्च 1997) उनकी वकील बेटी पर कुछ न्यायाधीशों से विशेष सुविधायें लेने का आरोप लगा। बार के सदस्यों ने प्रस्ताव पारित कर न्यायाधीशों प्रैक्टिस करने वाले रिश्तेदारों के उसी घर में रहने पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

ए0एस0 आनन्द

मुख्य न्यायाधीश रहते हुये पत्नी और सास के दो दशकों से लम्बित मामलों में अनुकूल फैसले के लिये निचली अदालत में दबाव डाला। सन् 2000 में उनकी उम्र पर विवाद की सी0बी0आई0 जाँच भी हुई। जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गयी।

के0रामास्वामी

मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी पाये गये लेकिन 1991 में उन्होंने अपना मामला सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। बाद में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी

न्यायाधीश के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करने से पहले मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी जरूरी होती है।

वी0 रामास्वामी

के0 वीर रामास्वामी के दामाद वी0 रामास्वामी पहले न्यायाधीश के जिनके ऊपर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहते हुये वित्तीय अनियमितताओं के लिये महाभियोग चालाया गया। लोकसभा में कांग्रेसी सांसदों के मतदान में भाग न लेने के कारण वे बच गये थे। लोकसभा के 108 सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी0 रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया था। आवश्यक दो- तिहाई बहुमत के स्थान पर केवल 196 सदस्यों का समर्थन ही प्राप्त हो सका।

शमित मुखर्जी

दिल्ली अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश शमित मुखर्जी और चार अन्य के खिलाफ सन् 2008 में एक डी0डी0ए0 जमीन घोटाले में आरोप पत्र तैयार किये। सी0बी0आई के मुताबिक पूर्व न्यायाधीश ने सहअभियुक्त खत्री से कुछ लाभ उठाने के बाद उनके पक्ष में अन्तरिम स्थगनादेश दे दिया जिससे डी0डी0ए0 उनके द्वारा काबिज कर ली गयी जमीन वापस नहीं ले पायी।

वाई0के0 सब्बरवाल

पूर्व मुख्य न्यायाधीश पर दिल्ली में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ सीलिंग अभियान में आदेश देने अपने परिवार के व्यवसायिक हित को आगे बढ़ाने का आरोप लगा परन्तु कोई आरोप साबित नहीं हो पाया।

निर्मल यादव

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की न्यायाधीश को तब पदमुक्त कर दिया गया जब कैश – एट – जज – डोर (न्यायाधीश के घर पर कैश) का आरोपी पाया गया लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो पाया।

सौमित्र सेन का मामला

न्यायमूर्ति सेन पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से रिसेवर के तौर पर नियुक्ति के बाद इस हैसियत में रहते हुये कुल 32 लाख रुपये के हेराफेरी करने और इस मामले में उच्च न्यायालय में गलत बयानी करने के आरोप याचिका में लगाये गये।

भ्रष्टाचार के कुछ महत्वपूर्ण मामले

1-मून्दडा घोटाला 1957 2-धर्मा तेजा प्रकरण 1960 3-नागर वाला काण्ड 1971 4-ए0आर0अन्तुले कांड 1982 5-चुरहट लाटरी काण्ड, 1988 6-बोफोर्स काण्ड 1988 7-बिहार चारा घोटाला 1989 8-हर्षद मेहता काण्ड 1997 9-स्टाक मार्केट घोटाला 2001 10-सियाचिन फर्जी मुठभेड काण्ड 2003-2004 11-नरसिंह राव काल में सेंट किट्स प्रकरण 12-झारखण्ड मुक्ति मोर्चा काण्ड 13-राफेल घोटाला ।

भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानून एवं संस्थायें

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

भ्रष्टाचार को काबू में रखने एवं भ्रष्टाचार करने वालों को दण्डित करने के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को सरकार ने 9 सितम्बर 1988 को लागू किया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ने पूर्व में लागू भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 का स्थान लिया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, की मुख्य विशेषता यह थी कि उसमें यह महत्वपूर्ण प्राविधान जोड़ा गया कि अभियुक्त अपने मामले में स्वयं गवाही दे सकता है। सम्भवतः यह भारत में लागू होने वाला पहला ऐसा कानून था जिसमें गवाह के रूप में अभियुक्त यह बता सकता है कि उसने वह सम्पत्ति जिसके बारे में उस पर अभियोग चलाया जा रहा है उसने कहाँ से तथा कैसे प्राप्त की थी? पूर्व में लागू भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947, सन्धानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, के मामले में कोई भी न्यायालय स्थगनादेश नहीं दे सकता है। यह व्यवस्था सत्यनारायण शर्मा बनाम राजस्थान राज्य, 2001 के बाद में दी गयी थी।

विनीत नारायण बनाम भारत संघ, 1998 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि सी0बी0आई0, सी0बी0सी0, प्रवर्तन निदेशालय आदि का पुनर्गठन, स्वतन्त्र और सशक्त बनाने की दिशा में सरकार प्रयास करे।

मध्य प्रदेश राज्य बनाम राम सिंह, 2000 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भ्रष्टाचार, लोकतन्त्र और सामाजिक व्यवस्था का विरोधी है।

जॉच आयोग अधिनियम, 1952

जॉच आयोग अधिनियम को सरकार ने 14 अगस्त 1952 में लागू किया था। यह 1952 का अधिनियम सं0 60 था, इस अधिनियम का उद्देश्य जॉच आयोग के गठन की प्रक्रिया एवं सदस्यों के कार्यों एवं शक्तियों को बताना था।

केन्द्रीय जॉच एजेन्सी सी0बी0आई0

केन्द्रीय जॉच एजेन्सी सी0बी0आई0 को सरकार को सार्वजनिक क्षेत्रों और राष्ट्रीकृत बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जॉच की पूर्ण छूट दी गयी। अपने एक ऐतिहासिक महत्व के निर्णय में विनीत नारायण बनाम भारत संघ, 1998 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय जॉच एजेन्सियों जैसे सी0बी0आई0, सी0बी0सी0, प्रवर्तन निदेशालय आदि के पुनर्गठन स्वतन्त्र और सशक्त बनाने के लिये सरकार को निर्देश दिये।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सन् 1964 में सन्धानम कमेटी की संस्तुति के आधार पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। केन्द्रीय सतर्कता आयोग जॉच संस्था नहीं है यह केवल मामले जॉच एजेन्सियों को सौंपता है। आयोग के प्रधान को केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त कहते हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक हो सकता है। 1977, के बाद इसका सेवाकाल तीन वर्ष कर दिया गया परन्तु लोकहित में दो वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम आयुक्त नित्तर श्री निवासा राव थे। कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर ही इसे हटाया जा सकता है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार

1. केन्द्रीय सतर्कता आयोग मुख्य तौर पर संघ कार्यपालिका के दायरे में आने वाले सभी विभागों की जाँच कर सकता है।
2. सभी प्रकार के राजपत्रित अधिकारियों की जाँच करने का अधिकार केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दिया गया है।
3. लोक उपक्रमों एवं राष्ट्रीयकृत के कुछ वर्ग के अधिकारी के मामलों की भी जाँच केन्द्रीय सतर्कता आयोग कर सकता है।
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग जाँच संस्था नहीं है यह केवल मामले जाँच एजेन्सियों को सौंपता है।
5. राजनेताओं के भ्रष्टाचार के मामले केन्द्रीय सतर्कता आयोग की परिधि में नहीं हैं परन्तु सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोक सेवक शब्द की व्याख्या करने के बाद सांसद, विधायक तथा मंत्री इसके दायरे में आ गये हैं। झारखण्ड मुक्ति मोर्चा रिश्वत प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने लोक सेवक शब्द की व्याख्या की थी।

रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडीशियल लाइफ

सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में जिस दस्तावेज रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडीशियल लाइफ को अपनाया था वह अभी तक अप्रकाशित है। उसमें कहा गया था कि न्यायाधीश

- नहीं लड़ेंगे चुनाव** किसी पद क्लब या बार का
नहीं करीब होंगे बार के किसी सदस्य के
नहीं इजाजत देंगे अपने किसी रिश्तेदार को अपनी अदालत में वकालत करने की
नहीं रहेंगे उस घर में जिसमें कोई रिश्तेदार वकील रहता हो
नहीं सुनेंगे रिश्तेदारों के मुकदमे
नहीं कहेंगे सार्वजनिक तौर पर अपनी राय, सार्वजनिक या राजनैतिक या लम्बित मसलों पर
नहीं देंगे साक्षात्कार मीडिया को
नहीं कबूलेंगे उपहार अपने परिवार के लोगों के अलावा
नहीं सुनेंगे उन कम्पनियों की जिनके शेयर अपने पास होंगे
नहीं करेंगे कोई व्यापार

रहेंगे सचेत इस बात से कि हम हमेशा लोगों की निगाह में हैं अपने ऊँचे पद की गरिमा के अनुरूप आचरण करें।

कानून संस्थाओं एवं आयोग में खामियाँ

जाँच आयोग 1952 के अन्तर्गत जाँच आयोग के सदस्य केवल जाँच करके रिपोर्ट केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को सौंपते हैं उन पर कार्यवाही करना या न करना यह सरकार के विवेक पर निर्भर है। इसी तरह केन्द्रीय सतर्कता आयोग भी मात्र भ्रष्टाचार के मामलों को संज्ञान में लेकर जाँच के लिये सम्बन्धित एजेन्सी जैसे सी0बी0आई0 या ई0डी0 को मामला सौंप देता है उसके पास स्वयं में कोई अधिकार नहीं है।

जो भी जाँच एजेन्सियाँ है वो राजनैतिक प्रभाव से ग्रसित होती हैं चाहे वह सी0बी0आई0 हो या ई0डी0 हो। अक्सर इनमें काम करने वाले अधिकारी सत्ता दल के सम्पर्क में रहते हैं इसलिये ईमानदारी से काम करना असम्भव सा हो जाता है।

सी0बी0आई0 की खामियाँ

1. सी0बी0आई0 काम के बोझ तले दबी हुई है अब यह 1 करोड़ रुपये से कम के भ्रष्टाचार के मामले लेती ही नहीं। सी0बी0आई0 स्वतन्त्र एजेन्सी नहीं है यह केन्द्र सरकार के अधीन है।
2. केन्द्र सरकार के अधीन होने के कारण गठबन्धन सरकार में मंत्री या राजनेता या उसके करीबी अफसर के खिलाफ जाँच में सी0बी0आई0 की साख खराब हुई है।
3. यह भी साख बनी है कि सी0बी0आई0 का इस्तेमाल केन्द्र सरकार अपने राजनीतिक शत्रुओं को “ ठीक ” करने में करती है।

सी0वी0सी0 की खामियाँ

1. सी0वी0सी0 का अमला बहुत छोटा है केवल 200 लोगों का है और इसे नजर रखनी पड़ती 150 केन्द्र सरकारी विभागों और मंत्रालयों पर। सी0बी0आई0 पर सी0वी0सी0 को सुपरवाइजरी का अधिकार है लेकिन दरअसल यह भी कागजी है।
2. सी0वी0सी0 मात्र सलाहकार की भूमिका में है, केन्द्र सरकार के विभाग भ्रष्टाचार के मामले में सी0वी0सी0 की राय मांगते हैं और विभाग को यह अधिकार है कि वे सी0वी0सी0 की सलाह को स्वीकारें या नकार दें। जिन मामलों में सी0वी0सी0 सीधी जाँच करता है उनमें भी वह सलाह ही दे सकता है।
3. अनुभव बताते हैं कि सी0वी0सी0 की सलाह पर मुकदमे नहीं चले, भारी जुर्माने के सुझाव पर मामूली जुर्माना लगाकर मामला रफा दफा कर दिया।
4. सी0वी0सी0 के पास आपराधिक मामला दर्ज करने का अधिकार नहीं है।
5. सरकारी विभागों में मौजूद सतर्कता शाखाओं पर भी सी0वी0सी0 का सीधा अधिकार नहीं है।
6. सी0वी0सी0 आयी शिकायतों को सम्बन्धित विभाग की सतर्कता शाखा को भेज देता है लेकिन उस पर कार्यवाही करने का कोई जरिया सी0वी0सी0 के पास नहीं है।
7. सी0वी0सी0 की नियुक्ति का सीधा अधिकार सत्तारूढ पार्टी के पास होता है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष चयन समिति का सदस्य होता है लेकिन उसकी राय बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती

सुझाव

भ्रष्टाचार निवारण निम्नलिखित सुझावों को अमल में लाना चाहिये :-

1. भ्रष्टाचार निवारण हेतु एक ऐसी सशक्त लोकपाल संस्था का निर्माण करना चाहिये जो कि भ्रष्टाचार निवारण के मामलों में स्वतन्त्रतापूर्वक सुनवाई कर सके।
2. सी0बी0आई0, सी0वी0सी0, प्रवर्तन निदेशालय एवं इसी तरह की अन्य आयोग एवं जाँच एजेन्सियों का लोकपाल संस्था में विलय कर देना चाहिये।
3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जाँच आयोग अधिनियम 1952, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में सख्त प्रावधान रखना।

4. प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, मंत्री, नौकरशाह, तथा अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों को लोकपाल संस्था के दायरे में रखना चाहिये।
5. जो सम्पत्ति का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दोषी के पास मौजूद सम्पत्ति जब्त करके करना चाहिये।
6. लोकपाल संस्था के पास न्यायपालिका जैसी दण्डात्मक कार्यवाही एवं पुलिस कार्यवाही करने की शक्ति होनी चाहिये।
7. मुकदमों का निपटारा एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत होना चाहिये तथा दोषी को न्यायालय में अपील करने का अधिकार होना चाहिये।
8. शिकायतकर्ता यदि किसी मंत्री, नौकरशाह, न्यायाधीश या कर्मचारी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराता है तो उसे उचित जुर्माने से दण्डित किया जाना चाहिये।
9. जिस व्यक्ति की नियुक्ति के पद पर की जाये उस पर यह प्रतिबन्ध लागू किया जाय कि सेवा निवृत्त होने के बाद वह न तो कोई राजनैतिक दल में शामिल होगा, न ही चुनाव लड़ेगा और न ही वह सरकार के किसी लाभ के पद पर काम कर सकेगा।
10. सरकारी विभागों में यह दिशा निर्देश जारी किये जायें कि प्रत्येक कार्य ही एक समय सीमा निश्चित हो इसी प्रकार का एक कानून बिहार सरकार ने "साइट टू सर्विस" 16 अगस्त 2011 को लागू किया है।

11. जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाये उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली जाये और यदि वो आरोप से बरी हो जाता है तो उसे उसकी सम्पत्ति एक उचित ब्याज सहित वापस कर दी जाये। इसी प्रकार की व्यवस्था बिहार सरकार ने लागू की है।

निष्कर्ष

अतः ऐसा महसूस होता है कि एक ऐसी संस्था का गठन हो जो कि स्वतन्त्र होकर काम कर सके और दोषी को दण्डित कर सके। लोकपाल जो में प्रावधान रखे हैं वो पूर्व में बनी संस्थाओं जैसे हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. चतुर्वेदी डॉ. ए०एन० (2010) : भारतीय दण्ड संहिता, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी इलाहाबाद, पृ० 293,296, 297, 298
2. पाण्डेय डॉ. जय नारायण (2018) : भारत का संविधान ,सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद ,पृ० 241, 268
3. यादव राजाराम (2017): भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद, पृ० 648
4. बाबेल डॉ. बसन्तीलाल (2016) : कम्पनी विधि, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद ,पृ० 482
5. www.caselaw.delhi.nic.in
6. www.lawindia.com